# बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर

**(बिहार सरकार, खेल विभाग के अधीन एक राज्य विश्वविद्यालय)**

सन्दर्भ सं. BSUR/449/2026 दिनांक: 07.08.2026

## नामांकन सूचना

सूचित करना है कि स्पॉट नामांकन के तहत शारीरिक शिक्षा एवं खेल में स्नातक पाठ्यक्रम (BPES) में दिनांक 05.08.2026 से 07.08.2026 तक नामांकन की प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात् कोटि–वार कुल–12 सीटें रिक्त रह गयी हैं जिसका विवरण निम्नवत हैः

| Category | UR | UR (F) | EWS | EWS (F) | BC | SC | SC (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancy | 04 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 01 |

2. उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय की सूचना संख्या BSUR/424/2026 दिनांक 03.08.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए कोटि–वार रिक्त सीटों के विरूद्ध नामांकन प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती हैः

3. BPES पाठ्यक्रम में कोटि–वार रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रथम आओ, प्रथम पाओं (First Come, First Serve) के आधार पर नामांकन हेतु संबंधित अभ्यर्थियों (जिन्होनें 13 से 15 जून 2026 के दौरान विश्वविद्यालय में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षण में भाग लिया हो) को दिनांक 10.08.2026 (सोमवार) को अधिकतम 11 बजे पूर्वाह्न तक बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के प्रशासनिक भवन (द्वितीय तल–पुस्तकालय) में भौतिक रूप से उपस्थित होना होगा। इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि दिनांक 10.08.2026 को भौतिक रूप से उपस्थित अभ्यर्थियों का नामांकन कोटि–वार रिक्त सीट के बराबर या उससे कम रहने की स्थिति में ही प्रथम आओ, प्रथम पाओं के आधार पर किया जायेगा।

4. उक्त के आलोक में यदि दिनांक 10.08.2026 को 11 बजे पूर्वाह्न तक BPES पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु भौतिक रूप से उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या कोटि–वार रिक्त सीटों से अधिक पायी जाती है तो इस स्थिति में 11 बजे पूर्वाह्न के पश्चात् उपस्थित अभ्यर्थियों को प्राप्त कुल Score के आधार पर दिनांक 10.08.2026 को ही कोटि–वार मेघा सूची तैयार कर विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करते हुए तद्नुसार नामांकन लिया जायेगा।

5. उक्त के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि कंडिका–1 के अनुसार कोटि–वार प्रथम आओ, प्रथम पाओं के आधार पर अथवा कंडिका–2 के अनुसार कोटि–वार मेघा सूची के अनुसार दिनांक 10.08.2026 को ही शुल्क भुगतान करके नामांकन की प्रक्रिया अंतिम रूप से पूर्ण करनी होगी। इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि नामांकन सूची के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 10.08.2026 को शुल्क का भुगतान करके नामांकन नही लेने की स्थिति में अगले क्रम के अभ्यर्थी को उसी दिन यानी 10.08.2026 को नामांकन लेने एवं शुल्क भुगतान करने का मौका दिया जायेगा।

6. **सभी अभ्यर्थियों को नामांकन के समय निम्नांकित दस्तावेज लाना अनिवार्य है:-**

a) मैट्रिक एवं समकक्ष परीक्षा का मूल प्रमाण-पत्र (मूल एवं छायाप्रति)
b) इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा का अंक-पत्र व प्रमाण-पत्र (मूल एवं छायाप्रति)
c) स्नातक परीक्षा का अंक-पत्र व प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो (मूल एवं छायाप्रति)
d) विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्गत परित्याग प्रमाण-पत्र (SLC/CLC) (मूल)
e) प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (मूल)
f) जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (महिला अभ्यार्थियों के लिए पिता के नाम से) (मूल एवं छायाप्रति)
g) BC एवं EBC कोटि के अभ्यर्थी के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत एक वर्ष की वैधता वाला क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (मूल एवं छायाप्रति)
h) EWS अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत एक वर्ष की वैधता वाला) प्रमाण-पत्र (मूल एवं छायाप्रति)
i) निवास/आवास प्रमाण-पत्र (मूल एवं छायाप्रति)
j) खेल सहभागिता प्रमाण-पत्र(मूल एवं छायाप्रति)
k) पाँच नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (रंगीन)
l) आधार कार्ड (मूल एवं छायाप्रति)
m) रक्त समूह (Blood Group) प्रमाण-पत्र

7. अभ्यर्थियों को सेमेस्टर शुल्क का भुगतान (Online) निम्नवत करना होगा:

| पाठ्यक्रम | अनु. जा. / अनु. जन. / महिला अभ्यर्थी (बिहार के मूल निवासी) | शेष अन्य अभ्यर्थी |
|---|---|---|
| BPES | 64350.00 | 69350.00 |

8. विश्वविद्यालय को प्रशासनिक अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में इस सूचना में संशोधन, परिवर्तन अथवा निरस्तीकरण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

9. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए अभ्यर्थी मोबाईल नं0 9691639627 / 8210015003 पर कार्य दिवस के दौरान 10.30 बजे पूर्वाह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक सम्पर्क कर सकते हैं।

7/8/26

कुलसचिव
बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर

**प्रतिलिपि:**

1) मैनेजर आईटी - इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
2) कार्यालय आदेश सं. BSUR/386/2026 दिनांक 15 जुलाई 2026 के अनुपालन में कार्य आवंटन समिति के समस्त संयोजकों एवं सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3) कुलपति के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
4) अध्यक्षा, सी.एस.पी.ई. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5) कुलसचिव / वित्त पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
6) सूचना पट्ट।